बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक–03 / नि॰ प्रशि॰(प्रशिक्षण राशि आकलन)–27 / 2024(2)................

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक.........................

विषयः– बिहार के पैक्सों के अध्यक्ष / प्रबंधक का द्वितीय बैच दिनांक 6–10 अक्टूबर तथा तृतीय एवं चतुर्थ बैच दिनांक 13–17 अक्टूबर, 2025 तक आवासीय प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन कार्यक्रम बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र में कराये जाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में राशि रू॰ 15,57,600 (पन्द्रह लाख सन्तावन हजार छः सौ रूपया) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पैक्सों के अध्यक्ष / प्रबंधक / शहद उत्पादक सहयोग समितियों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / बुनकर सहयोग समितियों के अध्यक्ष / प्रबंधक के प्रशिक्षण–सह–अध्ययन भ्रमण / कार्यशाला हेतु राशि रू० 2,61,34,320 / – (दो करोड़ एकसठ लाख चौतीस हजार तीन सौ बीस) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–185 दिनांक–26.06.2025 द्वारा प्रदान की गई थी।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में पैक्सों के अध्यक्ष / प्रबंधक का प्रशिक्षण दर्शन कार्यक्रम बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, VAMNICOM, पुणे, महाराष्ट्र में कराया जाना था, जिसमें संस्थान द्वारा प्रशिक्षण शुल्क पर 18% राशि GST के रूप में माँग की गई, जिसके आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–185, दिनांक–26.06.2025 में संशोधन करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक–85, दिनांक–05.01.2026 द्वारा 18% GST सहित कुल रू० 2,93,74,320 / – (दो करोड़ तिरानवे लाख चौहत्तर हजार तीन सौ बीस) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में मात्र VAMNICOM, पुणे में पैक्स अध्यक्ष / प्रबंधकों हेतु प्रशिक्षण–सह–भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ था, जिसमें कुल 164 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें से (बैच संख्या–01, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) कुल 120 प्रतिभागियों के प्रशिक्षण व्यय मद में रू० 42,48,000 / – (बयालीस लाख अड़तालीस हजार) रूपये मात्र का भुगतान किया गया। ICM, तिरूवनंतपुरम (90 शहद् उत्पादक समितियों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण) एवं ICM, चेन्नई (बुनकर समितियों के अध्यक्ष हेतु प्रशिक्षण) में प्रस्तावित कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो सका था।

4. उक्त योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में अपरिहार्य कारणवश मात्र रू० 15,57,600 (पन्द्रह लाख सन्तावन हजार छः सौ रूपया) रूपये मात्र की निकासी नहीं हो सकी।

5. पैक्स के अध्यक्ष / प्रबंधक का द्वितीय बैच दिनांक 6–10 अक्टूबर तथा तृतीय एवं चतुर्थ बैच दिनांक 13–17 अक्टूबर, 2025 तक आवासीय प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन कार्यक्रम VAMNICOM, पुणे, महाराष्ट्र में कराये जाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में राशि रू॰ 15,57,600 (पन्द्रह लाख सन्तावन हजार छः सौ रूपया) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ॰पृ॰उ॰

6. उक्त प्रशिक्षण व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

Sl No.	Category	Batch No.	Dates	Participants	Amount per Participant (Rs.)	Total Amount (Rs.)	GST@18 % (Rs.)	Grand Total (Rs.)
1.	Chairmen	Batch-2	6-10 October 2025	25	30,000	7,50,000	1,35,000	8,85,000
2.	Chairmen	Batch-3 & 4	13-17 October 2025	19	30,000	5,70,000	1,02,600	6,72,600
			Total	**44**	**60,000**	**13,20,000**	**2,37,600**	**15,57,600**

7. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0104–सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण हेतु व्यय, विपत्र कोड–09–2425000030104, विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–03–प्रशिक्षण व्यय के अंतर्गत विकलनीय होगी।

8. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत संबंधित संस्थान से प्राप्त विपत्र के विरूद्ध स्वीकृत राशि का विपत्र BTC FORM–25 में तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त, विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

10. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

11. स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

12. योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा संचिका संख्या–03/नि०प्रशि०(प्रचार प्रसार)–33/2024 के पृ० संख्या–52/प० पर दिनांक–23.06.2025 का प्राप्त है।

13. योजना प्रस्ताव पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–03/नि०प्रशि०(प्रचार प्रसार)–33/2024 के पृ० संख्या–15/टि० पर दिनांक–23.06.2025 का प्राप्त है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या–03/नि० प्रशि०(प्रशिक्षण राशि आकलन)–27/2024(2) के पृ० सं०–115/टि० दिनांक–19.06.2026 पर प्राप्त है।

कृ०पृ०उ०

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–03 / नि॰ प्रशि॰(प्रशिक्षण राशि आकलन)–27 / 2024(2) के पृ० सं०–116 / टि० दिनांक–19.06.2026 पर प्राप्त है।

16. इस संबंध में पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–185 दिनांक–26.06.2025 सह–पठित–व्यय आदेश ज्ञापांक–85 दिनांक–05.01.2026 (छायाप्रति संलग्न) को इस हद् तक संशोधित समझा जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–03 / नि॰ प्रशि॰(प्रशिक्षण राशि आकलन)–27 / 2024(2) 185 / पटना, दिनांक 22/06/26

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबन्द लिफाफे के साथ।
2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
3. सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग / सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार / सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार / सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार / अवर सचिव, प्रशाखा–03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

22.06.26
सरकार के अपर सचिव।

22/06/26

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। आदेश ।।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पैक्स के अध्यक्ष/प्रबंधक/शहद उत्पादक सहयोग समितियों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/बुनकर सहयोग समितियों के अध्यक्ष/प्रबंधक के प्रशिक्षण–सह–अध्ययन भ्रमण/कार्यशाला हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–185 दिनांक–26.06.2025 द्वारा राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल अनुमानित रू० 2,61,34,320/– (दो करोड़ एकसठ लाख चौतीस हजार तीन सौ बीस) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. उक्त क्रम में संयुक्त निबंधक (यो०), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक–11195 दिनांक–09.12.2025 से प्राप्त सूचनानुसार वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे में 600 पैक्स अध्यक्षों / प्रबंधकों का प्रशिक्षण हेतु **पूर्व में स्वीकृत व्यय की राशि रू 1,80,00,000/– के अतिरिक्त उस पर देय 18% GST के रूप में राशि रू 32,40,000/– (बत्तीस लाख चालीस हजार मात्र)** का भुगतान किया जाना है, जो पूर्व में संस्थान द्वारा प्रस्तुत मूल आकलन में शामिल नहीं किया गया था। संस्थान के पत्रांक–वीएम/पैक्स प्रशि. कार्य/2025/0816 दिनांक–23.07.2025 द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्राक्कलन के आलोक में पूर्व स्वीकृत राशि के अतिरिक्त 18% GST की राशि रू 32,40,000/– (बत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) मात्र का भुगतान किया जाना है। उक्त के आलोक में संशोधित कुल प्राक्कलित राशि रू 2,93,74,320/– (दो करोड़ तिरानबे लाख चौहतर हजार तीन सौ बीस) मात्र की विवरणी निम्नवत् है:–

संस्थान का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	30 प्रतिभागी प्रति बैच की दर से बैच की संख्या	प्रति बैच प्रशिक्षण व्यय	कुल प्रशिक्षण व्यय	कुल यात्रा+ भोजन व्यय	सकल व्यय
(A) VAMNICOM, पुणे	600 पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधक	20	9,00,000	1,80,00,000 + 32,40,000 (पर 18% GST) =2,12,40,000	15,00,000	2,27,40,000 (दो करोड़ सत्ताईस लाख चालीस हजार)
(B) ICM, तिरुवनंतपुरम	कुल 90 शहद उत्पादक समितियों के अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	3 (तीन)	5,00,000	15,00,000	3,24,000	18,24,000 (अठारह लाख चौबीस हजार)
(C) ICM, चेन्नई	300 बुनकर सहयोग समितियों के अध्यक्ष अथवा प्रबंधक	10	3,97,032	39,70,320	8,40,000	48,10,320 (अड़तालीस लाख दस हजार तीन सौ बीस)
कुल	सभी A+B+C का कुल प्रशिक्षण + अध्ययन भ्रमण व्यय = रू 2,93,74,320/– (दो करोड़ तिरानबे लाख चौहतर हजार तीन सौ बीस)					

इस प्रकार वर्त्तमान में उक्त योजना हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू 2,93,74,320 (दो करोड़ तिरानबे लाख चौहतर हजार तीन सौ बीस) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जानी है, जो मूल प्राक्कलित राशि 2,61,34,320/– (दो करोड़ एकसठ लाख चौतीस हजार तीन सौ बीस) से लगभग 12.40% अधिक है।

3. वित्त विभाग के संकल्प सं०–12888 दिनांक 03.12.2024 के कडिका–8 (क) में यह प्रावधान अंकित है कि किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20% से कम या 20% तक की वृद्धि होने की स्थिति में संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा।

18 (145)

4. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0104–सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण हेतु व्यय, विपत्र कोड–09–2425000030104, विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–03–प्रशिक्षण व्यय के अंतर्गत विकलनीय होगी।

5. वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पैक्स के अध्यक्ष/प्रबंधक/शहद उत्पादक सहयोग समितियों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/बुनकर सहयोग समितियों के अध्यक्ष/प्रबंधक के प्रशिक्षण–सह–अध्ययन भ्रमण/कार्यशाला हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–185 दिनांक–26.06.2025 द्वारा कुल स्वीकृत राशि ₹ 2,61,34,320/– (दो करोड़ एकसठ लाख चौंतीस हजार तीन सौ बीस) मात्र के स्थान पर राशि ₹ **2,93,74,320/– (दो करोड़ तिरानबे लाख चौहत्तर हजार तीन सौ बीस)** मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

6. इस पर सचिव, सहकारिता विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(3)

05.01.26

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–05/नि॰ प्रशि॰(प्रचार प्रसार)–33/2024 85 /पटना, दिनांक 05/01/26

प्रतिलिपि:–प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निबंधक कार्यालय, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रशाखा–03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ IT Manager, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05.01.26

सरकार के अपर सचिव